नियम 36 : प्रतिवादियों द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेज फाईल करना

(1) प्रत्येक प्रत्यर्थी याचिका या आवेदन पर अपना उत्तर और दस्तावेजों की प्रतियां, व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, अपील अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट रजिस्ट्रार के पास, उसकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर फाईल कर सकता है। ऐसे उत्तर की एक प्रति और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को तुरंत तामील की जाएंगी;

(2) उपनियम (1) के अधिन उत्तर या दस्तावेज तामील किए जाने पर आवेदक, प्रत्यर्थी द्वारा अपने निवेदन में कथित तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार करेगा, अस्वीकार करेगा या खंडन करेगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्य भी बताएगा, जो आवश्यक पाए जाएं।